Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Revision Petition No. 282/2026
CNR: RJHC020582842026 | URN: CR / 458U / 2026

Karauli District Cricket Assoication & Anr.

----Petitioners

Versus

State of Rajasthan & Ors.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. S.S. Hora, Adv. with Mr. Arpit Gupta, Adv. Mr. Himanshu Agarwal, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Surendra Singh Naruka, AAG with Ms. Ritika Naruka, AAAG Mr. Chinmay Saxsena, AGC Mr. Tanishq Aditya Parmar, Adv. Mr. Anshuman Singh, Adv. Mr. Jitendra, Adv. (For Res. Nos. 1 & 2) Mr. Abhinav Sharma, Adv. (Through V.C.) Mr. Akshaya Verma, Adv. Mr. Vishal Choudhary, Adv. (For Res. Nos. 3, 4 & 5)

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

22/09/2026

अंतरिम प्रार्थना पत्र संख्या 03/2026 अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सभी पक्षों की सहमति व प्रार्थना पर उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है।

निगरानीकर्तागण के विद्वान अभिभाषक संशोधित वाद शीर्षक प्रस्तुत करने के लिए समय चाहते हैं।

(Uploaded on 22/09/2026 at 06:44:01 PM)
(Downloaded on 22/09/2026 at 11:28:39 PM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

द्वितीय स्थगन प्रार्थन पत्र संख्या 3666/2026 अंतर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

निगरानीकर्तागण के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन द्वारा नोटिस दिनांक 07.09.2026 के द्वारा राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन के एपेक्स काउंसिल (कार्यकारिणी समिति) वर्ष 2026–29 के चुनाव दिनांक 29.09.2026 को आर.सी.ए. एकेडमी, एस.एम.एस. स्टेडियम, जयपुर में विभिन्न पदों पर सम्पन्न होने हैं, जिसके लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है। जिसमें फाईनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन दिनांक 22.09.2026 को 5.00 पी.एम. पर होना है और दिनांक 23.09.2026 से 26.09.2026 तक नॉमिनेशन भरना है, जिनकी स्क्रूटनी दिनांक 27.09.2026 को होनी है तथा योग्य उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन दिनांक 27.09.2026 को होना है और दिनांक 29.09.2026 को मतदान व चुनाव का परिणाम घोषित होना है। निगरानीकर्तागण ने जांच अधिकारी एवं निरीक्षक (कार्यकारिणी सहकारी समिति) प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दिनांक 05.03.2025 के संबंध में दिनांक 18.03.2025 को उप–रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, करौली द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील में विद्वान अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जाएगा) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.06.2026 को इस निगरानी याचिका के माध्यम से चुनौती दी गयी है। विद्वान उप–रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, करौली ने दिनांक 18.03.2025 को आदेश पारित कर तत्कालीन जिला क्रिकेट संघ, करौली की दिनांक 30.09.2023 को घोषित कार्यकारिणी को भंग कर तदर्थ कार्यकारिणी नियुक्त करने का आदेश दिया था तथा तदर्थ कार्यकारिणी को आदेश दिनांक 18.03.2025 के अनुसार कार्य करने हेतु आदेशित किया गया था। उक्त आदेश

(Uploaded on 22/09/2026 at 06:44:01 PM)
(Downloaded on 22/09/2026 at 11:28:39 PM)

RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के विरुद्ध प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 12.06.2026 के माध्यम से अपीलीय अधिकारी द्वारा खारिज कर दी गयी, जिससे व्यथित होकर यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की गयी है। यदि निगरानी याचिका के माध्यम से निगरानीकर्तागण की अपील के लंबित रहते हुए चुनाव में भाग नहीं लेने पर उनके राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन द्वारा जारी चुनाव नोटिस दिनांक 07.09.2026 द्वारा होने वाले चुनावों में भाग लेने के विधिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तथा राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन के एपेक्स काउंसिल (कार्यकारिणी समिति) के वर्ष 2026–29 के चुनाव में वे भाग नहीं ले पाएंगे। तत्कालीन जिला क्रिकेट संघ, करौली की दिनांक 30.09.2023 को घोषित कार्यकारिणी विधि अनुसार कार्यरत कार्यकारिणी है, तत्पश्चात गठित तदर्थ या नियमित कार्यकारिणी को चुनाव में भाग लेने का व वोट देने का अधिकार नहीं है। अतः राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन की कार्यकारिणी समिति के दिनांक 29.09.2026 को जो चुनाव होने हैं और उसकी अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन दिनांक 22.09.2026 को होना है, उसमें निगरानीकर्तागण को वोट देने का अधिकार दिया जावे। यदि नई कार्यकारिणी समिति को नियमानुसार वोट देने का अधिकार दिया जावे तो दिनांक 29.09.2026 को घोषित होने वाले चुनाव परिणाम पर रोक लगायी जावे।

उप–रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, करौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.03.2025 व विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.06.2026 राजस्थान खेल (संघों का पंजीकरण, मान्यता एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 (जिसे आगे 'अधिनियम–2005' के नाम से संबोधित किया जाएगा) की धारा 23(1)(सी) तथा राजस्थान खेल (संघों का पंजीकरण, मान्यता एवं विनियमन) नियम, 2004 (जिसे आगे 'नियम–2004' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के नियम 8(1)(सी) के प्रावधानों के विपरीत पारित किये गये हैं।

(Uploaded on 22/09/2026 at 06:44:01 PM)
(Downloaded on 22/09/2026 at 11:28:39 PM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

अतः निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर स्थगन आदेश पारित किया जावे।

निगरानीकर्तागण के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न विनिश्चय प्रस्तुत कियेः–

1. Rajesh Kumar Aggarwal & Ors. Vs. K.K. Modi & Ors., decided on 22.03.2006,(2006) 4 SCC 385
2. Ayaaubkhan Noorkhan Pathan Vs. State of Maharashtra & Ors. decided on 08.11.2012, (2013) 4 SCC 465
3. Rajiv Arora Vs. Union of India & Ors., decided on 29.08.2008, (2008) 15 SCC 306
4. New India Assurance Company Ltd. Vs. Nusli Neville Wadia & Anr., decided on 13.12.2007, (2008) 3 SCC 279
5. Lakshman Exports Ltd. Vs. Collector of Central Excise decided on 18.04.2002, (2005) 10 SCC 634
6. Mohd. Hussain Alias Zulfikar Ali Vs. State (Government of NCT of Delhi) decided on 11.01.2012, (2012) 2 SCC 584
7. Ajay Saraogi & Anr. Vs. Union of India decided on 31.08.2023, (2023) 386 ELT 333
8. Ramswaroop Vs. Charanjeet Singh decided on 08.08.2007, 2007 SCC Online Raj 524

प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन द्वारा दिनांक 07.09.2026 को जारी चुनाव नोटिस के तहत चुनाव प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है। चुनाव प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पश्चात चुनाव पर रोक नहीं लगायी जा सकती है तथा चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। अधिनियम–2005 की धारा 16 के अनुसार खेल संघ के चुनाव प्रबंध, गतिविधियों व संविधान इत्यादि के संबंध में कोई भी विवाद होने पर वह विवाद मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के तहत आ सकता है। यदि निगरानीकर्तागण को चुनाव में भाग लेना है या उनके द्वारा कोई आवश्यक

(Uploaded on 22/09/2026 at 06:44:01 PM)
(Downloaded on 22/09/2026 at 11:28:39 PM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

कार्यवाही की जानी है, तो अधिनियम–2005 की धारा 16 के तहत कार्य करे या अन्य विधिक उपचार प्राप्त करे। इस निगरानी याचिका के माध्यम से चुनाव कार्यवाही में भाग लेने का निगरानीकर्तागण को अधिकार नहीं दिया जा सकता है। अतः यह द्वितीय स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

प्रत्यर्थीगण की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में निम्न विनिश्चय प्रस्तुत किये गयेः–

1. Ameen Pathan Vs. State of Rajasthan and other connected matter decided on 04.06.2025, 2025 SCC OnLine Raj 2007
2. Rajasthan Chess Association Vs. Ashok Kumar Bhargava & Ors., decided on 16.04.2026, D.B. Special Appeal Writ No.288/2026

उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस निगरानी याचिका में उप–रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, करौली द्वारा दिनांक 18.03.2025 को पारित आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी थी, जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 12.06.2026, पारित कर अस्वीकार कर खारिज करने के आधार पर यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की गयी है। उप–रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, करौली ने अपने निर्णय दिनांक 18.03.2025 में जिला क्रिकेट संघ, करौली की दिनांक 30.09.2023 को घोषित कार्यकारिणी समिति को भंग कर तदर्थ कार्यकारिणी समिति नियुक्त की गयी थी और तदर्थ कार्यकारिणी समिति को समस्त प्राथमिक क्रीड़ा निकायों अर्थात् क्लब सदस्यों से संबंधित रिकॉर्ड की जांच करने और योग्य सदस्य क्लबों की जांच कर सूची नये सिरे से जारी करने और तीन माह के भीतर नई कार्यकारिणी के गठन/निर्वाचन के संबंध में आदेश पारित किया गया था। इस निगरानी याचिका के माध्यम से इस

(Uploaded on 22/09/2026 at 06:44:01 PM)
(Downloaded on 22/09/2026 at 11:28:39 PM)

न्यायालय द्वारा उप–रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, करौली द्वारा दिनांक 18.03.2025 तथा विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 12.06.2026 को पारित आदेश विधि–अनुकूल है या नहीं, इस तथ्य पर न्यायालय को विचार करना है। वर्तमान में दिनांक 30.09.2023 को घोषित जिला क्रिकेट संघ, करौली की कार्यकारिणी को भंग किया जा चुका है और नव–निर्वाचित कार्यकारिणी कार्य कर रही है। उप–रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, करौली के आदेश दिनांक 18.03.2025 व विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.06.2026 में राजस्थान क्रिकेट संघ की कार्यकारिणी समिति के चुनाव दिनांक 29.09.2026 के संबंध में कोई विवेचन व अनुतोष नहीं है। राजस्थान क्रिकेट संघ के दिनांक 29.09.2026 के चुनाव के संबंध में कोई चुनौती इस निगरानी याचिका में नहीं दी गयी है। ऐसी स्थिति में राजस्थान क्रिकेट संघ की कार्यकारिणी समिति के होने वाले चुनाव, जिसका नोटिस दिनांक 07.09.2026 को प्रकाशित किया गया, उसमें भाग लेने के लिए निगरानीकर्तागण निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान क्रिकेट संघ के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करने या अन्य विधिक उपचार प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस स्तर पर इस निगरानी याचिका में चुनाव दिनांक 29.09.2026 की वैधता के बारे में निर्धारण नहीं किया जाना है।

ऐसी स्थिति में द्वितीय स्थगन प्रार्थना पत्र के माध्यम से निगरानीकर्तागण को चुनाव नोटिस दिनांक 07.09.2026 के तहत सम्पन्न होने वाले राजस्थान क्रिकेट संघ की कार्यकारिणी समिति के चुनाव में भाग लिये जाने की अनुमति प्रदान करने या किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश पारित किये जाने का कोई न्यायसंगत व उचित आधार नहीं है। इस संबंध में पूर्व में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.07.2026 के माध्यम से विस्तृत रूप से आदेश पारित किया जा चुका है।

(Uploaded on 22/09/2026 at 06:44:01 PM)
(Downloaded on 22/09/2026 at 11:28:39 PM)

अतः निगरानीकर्तागण की ओर से प्रस्तुत द्वितीय स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 3666/2026 अंतर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

अंतरिम प्रार्थना पत्र संख्या 02/2026 अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता पर बहस सुनी गयी, जो पूर्ण हुई।

आदेश सुरक्षित रखा गया।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI/83 (S)

(Uploaded on 22/09/2026 at 06:44:01 PM)
(Downloaded on 22/09/2026 at 11:28:39 PM)